BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH
AT NEW DELHI

IN

OA NO 379/2024

IN THE MATTER OF

BHUVAN CHANDRA BHATT ... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO
1.	Report by District Forest Officer, Almora Forest Division, Almora	1-2
2.	Annexure 1 Joint inspection report dated 27.8.2022	3-5
3.	Annexure 2 Inspection report by the forest department dated 07.07.2023 and forest case registered against violators.	6-7
4.	Annexure 3 Joint inspection report dated 09.07.2024 and 13.07.2024.	8-9
5.	Annexure 4 Copy of joint inspection dated 25.10.2024 and 26.10.2024 along with the details of the Khatedars and the number of trees fallen on agriculture land.	10-17
6.	Annexure 4 Copy of the Forest cases registered against the violating farmers/khatedars.	18-26

11.02.2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा
दूरभाष : 05962-230065, फैक्सः 05962-232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 3939/29-3(3) अल्मोड़ा दिनांक, 11-2-2025

सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0 379/2024 भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्रा0 लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–01.02.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजित मूल आवेदन सं0 379/2024 भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एलर्जी प्रा0 लि0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक–01.02.2024 के क्रम में उत्तरदाता संख्या–03 व 04 की ओर से निम्न प्रकार सादर अवगत कराना है–

1– कि माननीय विधायक श्री महेश जीना 49– सल्ट विधानसभा के कार्यालय पत्र सं0 162 दिनांक 06.08.2022 के द्वारा ग्राम कुणीधार में सोलर प्लांट के भूमि में कटे वृक्षों की संख्या तथा भूमि के विवरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी भिकियासैण की पत्र सं0 10(1)/मुख्य–एस0टी0/2022 दिनांक 17–08–2022 के द्वारा गठित जांच टीम वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा मौके पर मय भू अभिलेखों के निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि नार्दन सोलर एनर्जी प्रा0 लि0, विन्दाल सोलर प्रा0 लि0 एवं एस0 आर0 एन0 सोलर एनर्जी प्रा0 लि0 कम्पनी द्वारा ग्राम कुणीधार के खाताधारक ग्रामीणों के मध्य 30 वर्षों की लीज डील के आधार पर सोलर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर वृक्षों की गणना वन विभाग द्वारा किया गया। **(संयुक्त जांच रिपोर्ट संलग्नक–01)**

2– कि प्राप्त शिकायत के आधार पर दिनांक 07.07.2023 की वन विभाग द्वारा जांच कर नाम भूमि में 35 वृक्षों के खुट कटे हुए पाये जाने पर नार्दन सोलर एनर्जी प्रा0 लि0 के नाम अपराध पंजीकृत कर जुर्माना वसूल किया गया। **(संलग्नक –02)**

3– कि सोलर प्लांट की सीमा के भीतर स्थित नाप एवं सिविल भूमि के विषय में सोलर प्लांट के प्रतिनिधि द्वारा मौके पर बताया गया कि काश्तकारों द्वारा ही भूमि लीज पर देकर वृक्षों का स्वंय ही पातन किया गया है। इस सम्बन्ध में किन काश्तकारों द्वारा सोलर प्लांट के भूमि लीज पर दी गयी है और किस भूमि पर सोलर प्लांट द्वारा अतिक्रमण कर अवैध पातन किया गया है जिस हेतु दिनांक 09.07.2024 व 13.07.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। **(संलग्नक –03)**

4– कि उक्त सोलर प्लांट द्वारा किसी भी प्रकार की आरक्षित भूमि या वन पंचायत भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अतः अतिक्रमण सम्बन्धित शिकायत में वन विभाग के स्तर से किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

5– कि सोलर प्लांट अन्तर्गत वृक्षों का अवैध कटान/अतिक्रमण से सम्बन्धित शिकायत की जॉच/निरीक्षण हेतु पुनः राजस्व अभिलेखों के साथ दिनांक 25.10.2024 एवं दिनांक 26.10.2024 को वन प्रभाग एवं राजस्व विभाग के आधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दो दिवसीय संयुक्त निरीक्षण किया गया, संयुक्त निरीक्षण के दौरान सोलर प्लांट अन्तर्गत चीड़ एवं बॉज के कुल 348 वृक्षों के खूट पाये गये वृक्षों के स्वामित्व एवं व्यासवार गणना की गई। (संलग्नक –04)

6– कि सोलर प्लांट अन्तर्गत वृक्षों का दिनांक 25.10.2024 एवं दिनांक 26.10.2024 को वन प्रभाग एवं राजस्व विभाग के आधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण में पाये गये चीड़ एवं बॉज के कुल 348 वृक्षों के अवैध पातन पर सम्बन्धित कास्तकारों के विरूद्ध वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की गई है। (संलग्नक –05)

उपरोक्तानुसार आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़

ANX-1

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार महोदय,

भिकियासैंण(अल्मोड़ा)।

महोदय,

संलग्नक पत्रांक सं0 5589/29-1(3) अल्मोड़ा दिनांक 21.05.2024 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा वन प्रभाग पर पृष्ठांकित आदेश सं0 294/मुख्य/2024,दिनांक 06.06.2024 जो मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर पल्स एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना वन प्रभाग अल्मोड़ा कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है–

1–यह कि मा0विधायक श्री महेश जीना 49–विधानसभा सल्ट के कार्यालय पत्र सं0 162, दिनांक 06 अगस्त,2022 के द्वारा ग्राम कूणीधार में सोलर प्लांट में वन भूमि में कटे हुए वृक्षों की संख्या तथा भूमि का विवरण के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं0 10(1)/मुख्य–एस0टी0/2022, दिनांक 17 अगस्त, 2022 के द्वारा गठित जॉच टीम, वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा मौके पर नय भू–अभिलेखों के निरीक्षण किया गया था। जिसमें पाया गया कि नार्दनसोलर एनर्जी प्रा0लि0, विन्दाल सोलर प्रा0लि0 तथा एस0आर0एन0 सोलर एनर्जी प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा ग्राम कूणीधार के खाताधारक ग्रामीणों के मध्य 30 वर्षों की लीज डीड के आधार पर सोलर प्लांट का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा उक्त भूमि पर वृक्षों की गणना का कार्य वन विभाग द्वारा किया गया था। जिसमें अग्रिम कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी थी।

2–यह कि दिनांक 07.07.2023 को वन विभाग को प्राप्त शिकायत के आधार पर वन विभाग द्वारा जॉच कर 35 वृक्ष पातन होने पाये जाने पर वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधि0 1976 की धारा 4/10 के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की गयी थी। जिसकी प्रति संलग्न रिपोर्ट है।

3–यह कि उपजिलाधिकारी महोदय भिकियासैंण के आदेश सं0 369(1)/विविध–संयु0निरी0/2024, दिनांक 04.07.2024 के अनुपालन में दिनांक 09.07.2024 व दिनांक 13.07.2024 को वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें वन विभाग द्वारा नाप भूमि व उनके खातेदारों की जानकारी मॉगी गयी थी जो वन विभाग को उपलब्ध करायी गयी जिसमें वृक्षों से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

अतः जॉच रिपोर्ट सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्नक–यथोक्त।

15/07/2024

राजस्व उप निरीक्षक,

कूणीधार।

अग्रेषण

रा0उ0नि0 कूणीधार की जॉच रिपोर्ट

सेवा में अग्रसारित

15/07/2024

रा0नि0

छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 27-8-2022 को माननीय उपजिलाधिकारी महोदय विकासनगर के आदेश सं० – 10 (2) / मुख्य – स्टा० सी० / 2022 दिनांक 26 अगस्त 2022 जो कि ग्राम कुनीधार में सोलर प्लान्ट के सम्बन्ध में सोलर प्लान्ट की नाप / बेनाप भूमि तथा उक्त प्लान्ट के निर्माण हेतु नाप / बेनाप / वन भूमि में काटे गये वृक्षों की संयुक्त स्थल निरीक्षण की स्थिति विषयक है, आदेश के अनुपालन में आज दिनांक को जांच टीम के सदस्यो हरीसिंह रा० नि० विकासनगर, वीरेन्द्र दत्त सहायक रा० नि० कालसी, कुबेर नेहरा रा० उ० नि० कुनीधार, गुलाब सिंह रा० उ० नि० ननणा, पंकज बिष्ट रा० उ० नि० अटकोट, मदनसिंह वन दरोगा कालसी, विनोद कुमार आर्य वन आरक्षी तथा प्रेम सिंह नेगी वन बीट अधिकारी कालसी द्वारा स्थल पर जाकर सु-अविदेश के साथ जांच की गयी जांच के समय सोलर प्लान्ट निर्माण करने वाली कम्पनियो के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धीरज मिश्रा तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री महेश जोशी उपस्थित है जांच रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नवत् है।

1. यह कि ग्राम कुनीधार में सोलर प्लान्ट निर्माण का कार्य तीन निजी कम्पनियो नामतः सोलर एनर्जी प्रा० लि०, विन्डल लेजर होम्स प्रा० लि० तथा एस० आर० एस० सोलर एनर्जी प्रा० लि० द्वारा करवाया जा रहा है। जांच के समय उक्त तीनो कम्पनियो के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धीरज मिश्रा उपस्थित रहे।

2. यह कि उक्त सोलर प्लान्ट के निर्माण हेतु उक्त कम्पनियो के द्वारा ग्राम कुनीधार के 38 कृषकों की कुल 5.440 है० भूमि 30 वर्षों के लिये अनुबन्ध पत्र के द्वारा (लीज डीड) ली गयी है। इसके अतिरिक्त ग्राम कुनीधार के विभिन्न कृषकों की श्रेणी 7क के अधीन दर्ज लगभग 0.800 है० भूमि कम्पनियो द्वारा सोलर प्लान्ट के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जा रही है इस सम्बन्ध में कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि यह श्रेणी 7क की भूमि कृषको की सहमति से ही उनके द्वारा उपयोग में लायी जा रही है यद्यपि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई कागज प्रस्तुत नही किये गये है।

(हस्ताक्षर) कुबेर नेहरा

(हस्ताक्षर) धीरज मिश्रा

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग कालसी

3. यह कि जाँच में सोलर प्लान्ट लगाने वाले [illegible] द्वारा खसरा नम्बर 1105 जो कि [illegible] [illegible] द्वारा कनौली के नाम कनौली [illegible] [illegible] बंजर भूमि के नाम दर्ज अभिलेख में पाये लगभग 0.500 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण कर सोलर प्लान्ट निर्माण कार्य पाया गया है। यद्यपि भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण स्थाई अतिक्रमण नहीं हो सका है। अतिक्रमण अस्थाई रूप का पाया गया है।

5. यह कि मौके पर सोलर प्लान्ट निर्माणाधीन भूमि पर काटे गये वृक्षों की गणना का कार्य वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाती है इस सम्बन्ध में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवगत कराया गया कि वृक्ष गणना का कार्य विस्तृत लेवल पर किया जा रहा है इसलिये गणना कार्य पूर्ण नहीं हुआ है पूर्ण होने पर तदनुसार आख्या श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की जायेगी। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सादर सेवार्थ प्रेषित है।

राजस्व निरीक्षक

राजस्व उपनिरीक्षक [illegible]

[illegible]

रा०उ०नि० [illegible]

(किशोर कुमार शर्मा)
(वन आरक्षी)

(पूरनसिंह)

ग्रामप्रधान [illegible]

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

ANX-2

सेवा में,
श्रीमान वनक्षेत्राधिकारी महोदय,
जौरासी वन क्षेत्र,

विषय - नाप भूमि / सिविल भूमि में सोलर प्लांट कुलीधार में पाये गए ठूंठों के सम्बन्ध में।

महोदय,
उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि वन विभाग सोलर प्लांट जांच हेतु राजस्व विभाग द्वारा गठित टीम में वन विभाग के प्रतिनिधि के रूप में श्री किशोर कुमार आगरी वन आरक्षी एवं श्री पूरन सिंह नेगी नागरी वन बीट अधिकारी के साथ में सोलर प्लांट में पाये गए मेरे द्वारा दिनांक 27/08/2022 को सोलर प्लांट की गई। उक्त गणनानुसार चीड़ एवं बांज वृक्षों के ठूंठों की गणना की गई 348 वृक्षों के ठूंठ पाये गए चीड़ के 155 एवं बांज के 193 कुल 348 वृक्षों की टीम को भूमि का

महोदय 27/08/2022 को वन विभाग के आदेशानुसार पुनः दिनांक प्रकार स्पष्ट न होने के कारण आपके आदेशानुसार श्री कुबेर सिंह मेहरा के 04/09/2022 को राजस्व उप निरीक्षक कुलीधार श्री संयुक्त निरीक्षण टीम द्वारा पुनः कुलीधार नाप सिविल एवं वन भूमि के अनुसार सिविल एवं वन भूमि किया गया, राजस्व उप निरीक्षक के बताए अनुसार सिविल एवं वन भूमि में ठूंठों की गणना की गई। जिसकी सूची निम्न प्रकार है -

क्र.सं.	भूमि का प्रकार	किस्म प्रजाति	0-10	10-20	21-30	30-40	40-50	50-60	60-70	योग टिप्पणी
			—	—	—	—	—	—	—	27 55
1-	वन पंचायत/ बंजर भूमि		01	07	15	11	03	08	—	
2-	सिविल सोयम भूमि	चीड़	01	02	07	11	03	08	—	32
	सिविल भूमि	योग	—	11	18	27	29	32	11	128
3-	नाप भूमि उद्यान	चीड़	21	70	69	97	01	—	—	138
		बांज	21	31	87	54	30	32	11	316
	नाप भूमि	योग	22	83	91	65	33	40	11	348
	महायोग	—								

अतः सूचना महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर) कुबेर सिंह मेहरा (राजस्व उप निरीक्षक) कुलीधार

(हस्ताक्षर) किशोर कुमार (वन आरक्षी)

(हस्ताक्षर) पूरन सिंह नेगी (बीट अधिकारी) नागरी

(हस्ताक्षर) चन्द्र शेखर (वा.द.) नागरी अनुभाग

(हस्ताक्षर) छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्राधिकारी वन क्षेत्राधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र अल्मोड़ा

पृष्ठ संख्या 18 एच (?) प्रपत्र 28 क्रम सं०

वन विभाग उत्तर प्रदेश [illegible] अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध ~~भारतीय वन अधिनियम~~ उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत प्रारूपना (रिपोर्ट) नं० 01 दिनांक 07.07.2023

अधिकोष्ठ स्थान — जौरासी वन क्षेत्र

1 - नाम, पिता का नाम व निवास स्थान — नार्दन सोलर कम्पनी एवं S.R.N Sun Solar energy P.V.T LTD कम्पनी

2 - साक्षी का नाम - (1) [illegible]
(2) श्री गोपाल दत्त जोशी, व. क्षे. अ. जौरासी वन क्षेत्र
(3) श्री चन्द्रशेखर वन दरोगा, मानिला अनुभाग
(4) श्री संजय सिंह, वन बीट अधिकारी, मानिला I बीट

3 - कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक दि. 07.07.2023 को प्राप्त शिकायत के क्रम में नाप भूमि जुनीयार का स्थलीय निरीक्षण किया। मौका मुआयना करने के दौरान ग्राम सभा जुनीयार की चौकी पर आए उनके द्वारा बताया गया कि जुनीयार नाप भूमि में नार्दन सोलर कम्पनी एवं S.R.N Sun Solar energy P.V.T. LTD कम्पनी द्वारा सोलर प्लान्ट निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें उपरोक्त कम्पनी द्वारा बिना अनुमति के जौरासी ग्राम जुनीयार नाप भूमि में चीड़ के हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। मौके पर व्यास में $\frac{20-30}{09}$, $\frac{30-40}{13}$, $\frac{40-50}{09}$, $\frac{50-60}{04}$ व्यास श्रेणी के कुल 35 वृक्षों के ठूँठ पाए गए।

4 - मूल्य (रुपये) ____________

वन क्षेत्राधिकारी ____________

5 - चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत

6 - प्रारूपना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(किशोर चन्द्र)
वन क्षेत्राधिकारी
मानिला II रेंज

दृष्टव्य प्रेषित (हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 09/07/2024 को श्रीमान जिलाधिकारी [illegible] के आदेश सं० 361(1)/निरी०/अनु०/निरी०/2024 दिनांक 04/07/2024 के अनुपालन में ग्राम कुलीबार के सोलर प्लांट निर्माण के दौरान अतिक्रमण/अवैध पातन के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर राजस्व विभाग से राजस्व निरीक्षक [illegible] श्री जितेन्द्र दत्त चपलियाल, रा० उ० नि० कुलीबार श्री निखिल कुमार त्यागी, वन विभाग से वन दरोगा श्री चन्द्रशेखर तिवारी, वन क्षेत्र अधिकारी [illegible]-II श्री किशोर चन्द्र उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान राजस्व नक्शे में खेत नम्बर स्पष्ट न होने के कारण, खसरा नम्बर का मिलान नहीं हो पाया जिस कारण भू-स्वामित्व भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जिस कारण वृक्षों का गणना कार्य (पातन किये गये वृक्षों का) नहीं हो पाया है।

(किशोर चन्द्र)
वन क्षेत्र अधिकारी
[illegible] II

(निखिल त्यागी)

J.K. Tyagi
09/07/2024
रा०उ०नि० कुलीबार

09/07/2024
रा० नि० [illegible]

संयुक्त निरीक्षण

आज दिनांक 13.03.2025 को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 11/03/2025 के अनुपालन में ग्राम [illegible] खतौनी [illegible] के दौरान वृक्षों के अवैध पातन के सम्बन्ध में मौके पर संयुक्त रूप से संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित खसरा नम्बरों पर वृक्ष पातन होना पाया गया -

वृक्ष पातन की संख्या	गोला	खसरा संख्या	खाता सं०	भूमि की श्रेणी	खातेदार का नाम
01	यूकेलिप्टस	3074	27	1क	जगदेव s/o धनीराम गहेश्वानंद आदि s/o [illegible]
02	दो	3226	27	1क	--"--
01	अर्जुन	3235	27	1क	--"--
03	की	3234	11	1क	कृष्णानंद आदि s/o [illegible] आदि
03	गयी है	3075	50	1क	भुवनचंद s/o [illegible] आदि

अतः निरीक्षण रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित।

(किशोर [illegible])
वन क्षेत्राधिकारी
[illegible]

वनदरोगा
([illegible])

N.K. Tewari
राजस्व निरीक्षक

13.03.2025
लेखपाल

[illegible]
कार्यालय [illegible]

ANX-4

3/11/2024

कार्यालय उपजिलाधिकारी भिकियासैंण।

संख्या 66/विविध/2024–25 दिनांक 16.11.2024।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
रानीखेत।

विषयः– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित आवेदन संख्या 379/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2024 के अनुपालन में सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 344/29–1 दिनांक 15.10.2024 एवं वन क्षेत्राधिकारी जौरासी के कार्यालय पत्र संख्या 739/29–1 दिनांक 17.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में तहसीलदार भिकियासैंण एव राजस्व उप निरीक्षक कुणींधार को प्रकरण में यथासमय प्रतिभाग कर संयुक्त निरीक्षण आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार भिकियासैंण के कार्यालय पत्र संख्या 02/विविध/2024–25 दिनांक 28 अक्टूबर, 2024 से आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। तहसीलदार भिकियासैंण की आख्यानुसार दिनांक 25 व 26 अक्टूबर,2024 को श्री जितेन्द्र दत्त थपलियाल राजस्व निरीक्षक भिकियासैंण, श्री संजय सिंह राजस्व उप निरीक्षक भिकियासैंण सहित वन विभाग के श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी वन दरोगा मानिला एवं श्री किशोर चन्द्र वन बिट अधिकारी मानिला द्वारा ग्राम कुणींधार में लगे सोलर प्लांट में पातन किये गये वृक्षों की गणना व स्वामित्व के सम्बन्ध में उपस्थित होकर संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुल 348 वृक्षों (विभिन्न प्रजाति व विभिन्न व्यास वर्ग के) की गणना की गयी तथा विभिन्न खातेदारों जिनके खेतों में 348वृक्षों का पातन पाया गया कि रिपोर्ट भी तैयार की गयी है। निरीक्षण के दौरान सोलर प्लांट में पातन किये गये वृक्षों के स्वामित्व के सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा चाही गयी वांछित सूचना उन्हे तत्समय ही अवगत करा दिया गया।

अतः उपरोक्तानुसार तहसीलदार भिकियासैंण से प्राप्त संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं सोलर प्लांट कुणींधार के अन्तर्गत वृक्षों के पातन सम्बन्धी सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– यथोक्त।

(सीमा विश्वकर्मा)
उपजिलाधिकारी भिकियासैंण।

प्रतिलिपिः–
1. जिला अधिकारी महोदय अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सादर सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन क्षेत्राधिकारी, जौरासी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी भिकियासैंण।

उ० प्र० वना० रानी० की पत्र सं०- 501/29-1 दि० 23/11/2024
मूल में श्रीमान् प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

उ० प्र० वना०
रानीखेत,

362
29-3(3)
दिनांक 26-11-2024

जंगल को आग से बचाएं वन का जीवन सुरक्षित बनाएं

कार्यालय

वन क्षेत्राधिकारी जौरासी वन क्षेत्र, अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Office Email- Rangeofficerjaurasi@gmail.com

पत्रांक 807 /29–1 जौरासी राजि दिनांक 28/10/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

द्वारा–: श्रीमान उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदया रानीखेत।

विषय–: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित आवेदन सं0 370/2024 श्री भुवन चन्द्र भट्ट बनाम सोलर प्लस एनर्जी प्रा0 लि0 व अन्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.01.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट।

सन्दर्भ–: श्रीमान उप जिलाधिकारी भिकियासैण की पत्र संख्या 473/मुख्य/2024, दिनाकं 24.08.2024 एंव श्रीमान उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदया रानीखेत की पत्र संख्या 199/29–1 दिनाकं 30.08.2024, पत्रांक 225/29–1 दिनांक 05.09.2024 एंव इस कार्यालय के पत्रांक 378/27–1 दिनांक 07.09.2024, 421/27–1 दिनांक 18.09.2024, मैमो/29–1 दिनाकं 01.10.2024 एंव 739/29–1 दिनाकं 17.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयकम पर सादर अवगत कराना है कि श्रीमान उप प्रभागीय वनाधिकारी महोदया रानीखेत द्वारा ग्राम कुणीवार में सोलर प्लान्टं निमार्ण के सम्बन्ध में जॉच/निरीक्षण की पूर्ण स्थिति स्पष्ट कर सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके कम पर इस कार्यालय के पत्राकं 378/27–1 दिनाकं 07.09.2024, से संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनाकं 13.09.2024 की तिथि नियत की गई, पत्रांक 421/27–1 दिनांक 18.09.2024, से पुनः दिनाकं 27.09.2024 की तिथि नियत की गई परन्तु राजस्व विभाग से कोई भी कर्मचारी/प्रतिनिधि उक्त तिथियों में मौके पर उपस्थित नही हुए, जिस कारण संयुक्त निरीक्षण नही हो पाया। तत्पश्चात इस कार्यालय के पत्रांक मैमो/29–1 दिनाकं 01.10.2024, एंव पत्रांक 640/29–1 दिनाकं 05.10.2024 से उप जिलाधिकारी महोदय भिकियासैण को संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारण हेतु अनुरोध किया गया। परन्तु तिथि निर्धारण नहीं होने से उक्त संयुक्त निरीक्षण नही हो पाया।

महोदय पुनः उक्त प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण करने हेतु उप जिलाधिकारी महोदय भिकियासैण को इस कार्यालय के पत्र संख्या 739/29–1 दिनाकं 17.10.2024 से संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनाकं 25.10.2024 की तिथि निर्धारित की गई। उक्त निर्धारित तिथि में वन विभाग से अनुभाग अधिकारी मानिला, वन बीट अधिकारी मानिला दक्षिणी, वन बीट अधिकारी मानिला उत्तरी एंव राजस्व विभाग से राजस्व उप निरीक्षक भिकियासैण एंव राजस्व निरीक्षक भिकियासैण मौके पर संयुक्त निरीक्षण हेतु उपस्थित हुए। संयुक्त निरीक्षण में सोलर प्लॉट अन्तर्गत वृक्षों का अवैध कटान/अतिकमण से सम्बन्धित शिकायत की जॉच/निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण दौरान सोलर प्लांट अन्तर्गत चीड़ एंव बॉज के कुल 348 वृक्षों के खूँट पाये गये है। वृक्षों की व्याासवार गणना सूची एंव वृक्षों का स्वामित्व सूचना संलग्न है। उक्त जॉच/निरीक्षण दिनांक 25.10.2024 एंव 26.10.2024 को दो दिवस में पूर्ण किया गया। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध वन अपराध दर्ज किया गया है।

अतः सूचना महोदय की सेवा में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न – यथोक्त।

उ0प्र0व0 का पत्रांक 465/29-1 दि0 18-11-2024
मूल में प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
उ0प्र0व0 रानीखेत

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पत्रांक /29–1/जौरासी/तददिनाकिंत

प्रतिलिपि–: उप जिलाधिकारी महोदया भिकियासैण को सूचनार्थ प्रेषित।

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Forest Department Jaurasi Letter 29-1
उत्तराखण्ड वन राज्य आपके संग

संयुक्त निरीक्षण

प्रस्तुत पत्रांक सं० 739/21-1 जौरासी शासि. दिनांक 17.10.2024 पर आदेश सं० 02/लिपिक 2024 दिनांक 23.10.2024 तहसीलदार महोदय भिकियासैंण के अनुपालन में दिनांक 25 व 26 अक्टूबर 2024 को ग्राम-कुणीधार राज० उ०नि० क्षेत्र कुणीधार तहसील, अल्मोड़ा के सोलर प्लांट का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग से राजस्व-निरीक्षक भिकियासैंण जितेन्द्र दत्त थपलियाल राज० उ०नि० [illegible] विजय सिंह, वन विभाग से वन दरोगा मानिला चन्द्रशेखर त्रिपाठी वन बीट अधिकारी मानिला-II किशोर चन्द्र उपस्थित रहे, निरीक्षण के दौरान 348 वृक्ष (विभिन्न प्रजाति व विभिन्न व्यास वर्ग के) की गणना कर स्वामित्व सहित रिपोर्ट तैयार की गयी। वृक्षों की गणना व स्वामित्व रिपोर्ट पृथक से प्रस्तुत है, 348 वृक्षों की गणना का कार्य स्वामित्व रिपोर्ट सहित पूर्ण कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर) वन द० (मानिला-अनुभाग)

(हस्ताक्षर) (किशोर चन्द्र) व० बी० अ० मानिला II बीट

(हस्ताक्षर) रा० उ०नि० भिकियासैंण

(हस्ताक्षर) 26/10/2024 रा० नि० भिकियासैंण

सोलर प्लांट हुणीधार ग्राम-हुणीधार के अन्तर्गत वृक्षों के पातन सम्बन्धी सूचना रिपोर्ट

संयुक्त कार्यदायी कम्पनी - नार्दन सोलर एनर्जी प्रा०लि०, सिद्धार्थ लेजर होल्डिंग्स प्रा०लि० व एस०आर०एस० सोलर एनर्जी प्रा०लि०

क्रम	खातेदार का नाम (जिनकी निजी भूमि पर वृक्ष पातन किया गया/पाया गया)	पातन किये गये वृक्ष: प्रजाति	पातन किये गये वृक्ष: संख्या	व्यक्ति/कम्पनी जिसके द्वारा वृक्षों का पातन करना पाया गया	वृक्षों की व्यास वर्ग (सेमी) के अनुसार: 0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से ऊपर	टिप्पणी
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
1.	बालादत्त S/o तारादत्त शर्मा	चीड़	06		—	—	01	01	02	01	01	
		बांज	09		—	04	04	01	—	—	—	
2.	लक्ष्मीदत्त S/o जयदत्त शर्मा	चीड़	04	[illegible]	—	01	01	—	01	01	—	
		बांज	04		01	02	01	—	—	—	—	
3.	श्रीवल्लभ S/o नन्दुरादत्त शर्मा	चीड़	02	[illegible]	—	—	01	—	—	01	—	
		बांज	01		—	01	—	—	—	—	—	
4.	कृपालदत्त S/o काशीनदत्त शर्मा	चीड़	03	[illegible]	—	—	—	01	01	01	—	
		बांज	03		01	01	—	01	—	—	—	
5.	आनुली देवी W/o नंदकिशोर	चीड़	05	[illegible]	—	—	—	02	02	01	01	
		बांज	10		02	03	03	02	—	—	—	
6.	[illegible]दत्त S/o तारादत्त शर्मा	चीड़	04	[illegible]	—	—	01	01	01	01		
		बांज	06		01	03	01	01	—	—	—	
7.	उदयानंद S/o तारादत्त शर्मा	चीड़	05	[illegible]	—	—	—	02	02	01	01	
		बांज	10		01	04	03	02	—	—	—	

वन दरोगा   वन आरक्षी   व० वी० का० मानिला II वीट   वन क्षेत्राधिकारी

सोलर प्लांट कुनीसार ग्राम कुनीसार के अन्तर्गत वृक्षों के पातन सम्बन्धी सूचना विवरण

संयुक्त कार्यदायी कम्पनी - [illegible] सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, [illegible] सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड

क्र०सं०	खातेदार का नाम (जिनकी निजी भूमि पर वृक्ष पातन किया जाना प्रस्तावित है)	पातन किये गये वृक्ष: प्रजाति	पातन किये गये वृक्ष: संख्या	व्यक्ति/कम्पनी जिसके द्वारा वृक्षों का पातन कराया जाना है	वृक्षों के व्यास वर्ग (वन विभाग के अनुसार): 0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से ऊपर	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
8.	[illegible] आदि	चीड़	05	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	—	—	01	01	02	01	—	
		बाँज	03		01	01	01	—	—	—	—	
9.	बचुली देवी पत्नी [illegible] आदि	चीड़	02		—	—	01	—	—	01	—	
		बाँज	01		—	—	01	—	—	—	—	
10.	कुन्ती [illegible] भगवत [illegible] आदि	चीड़	07		—	01	01	02	02	01	—	
		बाँज	10		01	04	04	01	—	—	—	
11.	प्रेम [illegible] पुत्र देवी दत्त आदि	चीड़	06		~~[illegible]~~	01	01	01	02	01	—	
		बाँज	07		01	02	03	01	—	—	—	
12.	जगदीश चन्द्र पुत्र [illegible] आदि	चीड़	03		—	—	01	—	01	01	—	
		बाँज	02		01	01	—	—	—	—	—	
13.	हरीश चन्द्र पुत्र शम्भू दत्त आदि	चीड़	06		—	01	01	01	02	01	—	
		बाँज	11		02	04	04	01	—	—	—	
14.	गोपाल दत्त पुत्र नारायण दत्त आदि	चीड़	01		—	01	—	—	—	—	—	
		बाँज	01		—	01	—	—	—	—	—	

(हस्ताक्षर) [illegible]

(हस्ताक्षर) [illegible]

(हस्ताक्षर) Bhandari, [illegible] II [illegible]

(हस्ताक्षर) [illegible] (ग्राम [illegible]) [illegible]

सोलर प्लांट सुनौलाद ग्राम सुनौलाद के अन्तर्गत वृक्षों के पातन सम्बन्धित प्रगणना रिपोर्ट
संयुक्त कार्यदायी कम्पनी - जार्दन सोलर एनर्जी प्रा०लि०, [illegible]

क्र०सं०	खातेदार का नाम (जिनकी निजी भूमि पर वृक्ष पातन किया जाना पाया गया)	पातन किये जाने वाले वृक्ष: प्रजाति	संख्या	क्षति/कमी किये जाने वाले वृक्षों का पतन करना पाया गया	वृक्षों के व्यास वर्ग (सेन्टीमीटर के अनुसार) 0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से अधिक	टिप्पणी
-1-	-2-	-3-	-4-	5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
15-	गीता देवी w/o रमेशचन्द्र आदि	चीड़	12		-	01	-	-	-	01	-	
		बाँज	02		-	01	-	01	-	-	-	
16-	रघुनन्दन s/o नारायण आदि	चीड़	01	1- [illegible] 2- [illegible] 3- [illegible]	-	-	-	-	-	01	-	
		बाँज	03		-	01	01	01	-	-	-	
17-	खालीराम s/o हीरामणी आदि	चीड़	05		-	-	-	01	02	01	01	
		बाँज	12		01	05	04	01	-	-	-	
18-	प्रवेशीदत्त s/o हीरामणी आदि	चीड़	05		-	-	-	02	01	01	01	
		बाँज	12		-	04	05	03	-	-	-	
19-	त्रिलोचन s/o हीरामणी आदि	चीड़	05		-	-	01	02	-	01	01	
		बाँज	10		-	04	04	02	-	-	-	
20-	हरीश चन्द्र s/o नारायणदत्त आदि	चीड़	-		-	-	-	-	-	-		
		बाँज	02		-	-	01	01	-	-	-	
21-	खालीराम s/o नारायणदत्त आदि	चीड़	04		-	-	01	01	01	01	-	
		बाँज	05		01	01	02	-	01	-	-	

[illegible] (signature)

Bhandari
वा० क्षे०अ०
मानिला II बीट

[illegible] (signature)
कानूनगो
(मानिला कफड़ा)

सोलर प्लांट कुनीधार ग्राम-कुनीधार के अन्तर्गत वृक्षों के पातन अनापत्ति गणना रिपोर्ट

संयुक्त कार्यदायी कम्पनी - नार्दन सोलर एनर्जी प्रा०लि०, मिडिल जोन (होल्ड प्रा०लि० ना एस०डब्ल्यू० सोलर एनर्जी प्रा०लि०

क्र०सं०	खातेदार का नाम जिनकी निजी भूमि पर वृक्ष पातन किया गया/पाया गया)	पातन किये गये वृक्ष		व्यक्ति/कम्पनी जिनके द्वारा वृक्षों का पातन करना पाया गया	वृक्षों के व्यास वर्ग (वन विभाग के अनुसार)							
		प्रजाति	संख्या		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से अधिक	टिप्पणी
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
22.	आनन्दवल्लभ s/o घनश्याम आदि	चीड़	02		–	01	–	–	–	01	–	
		बाँज	01		–	–	01	–	–	–		
23	नारायणदत्त s/o धनीराम आदि	चीड़	06		–	01	01	01	02	01	–	
		बाँज	08		02	03	03	–	–	–	–	
24.	पूरनचन्द्र s/o तारादत्त आदि	चीड़	04	[illegible]	–	–	01	01	01	01	–	
		बाँज	03	[illegible]	01	01	01	–	–	–	–	
25	रेवाधर s/o जगदीशदत्त आदि	चीड़	04	[illegible]	–	–	01	01	–	01	01	
		बाँज	09	[illegible]	01	02	04	02	–	–	–	
6	खष्टीदेवी w/o शम्भूदत्त आदि	चीड़	05	[illegible]	–	–	–	02	02	01	01	
		बाँज	12	[illegible]	02	05	03	02	–	–	–	
7	लीलाधर s/o भोलादत्त आदि	चीड़	02	[illegible]	–	01	–	–	–	01		
		बाँज	02	[illegible]	–	01	01	–	~~01~~	~~01~~	–	
8	भुवनचन्द्र s/o चन्द्रमणी आदि	चीड़	03	[illegible]	–	01	01	–	–	01	–	
		बाँज	01	[illegible]	–	–	01	–	–	–	–	

(हस्ताक्षर) राजस्व उप निरीक्षक

(हस्ताक्षर) उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़

(हस्ताक्षर) व०क्षे०अ० नाकोट II नौरा

(हस्ताक्षर) उप प्रभागीय वनाधिकारी

सोलर प्लांट कुनीधार ग्राम-कुनीधार के अन्तर्गत वृक्षों के पातन सम्बन्धित सूचना रिपोर्ट

संयुक्त कार्यदायी कम्पनी · नार्दन सोलर एनर्जी प्रा०लि०, [illegible] प्रा०लि० व [illegible] सोलर एनर्जी प्रा०लि०

क्र०	काश्तकार का नाम (जिनकी निजी भूमि पर वृक्ष पातन किया गया पाया गया)	पातन किये गये वृक्ष प्रजाति	संख्या	व्यक्ति/कम्पनी जिसके द्वारा वृक्षों का पातन करना पाया गया	वृक्षों के व्यास वर्ग (वन विभाग के अनुसार) 0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60 से अधिक	[illegible]
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-
29	कमलादेवी पत्नी [illegible] आदि	चीड़	02	[illegible]	—	01	—	—	—	01	—	
		बाँज	01		—	~~[illegible]~~	~~01~~	—	—	—	—	
30	[illegible] आदि	चीड़	01		—	—	—	—	—	01	—	
		बाँज	03		01	—	02	—	—	—	—	
31	नारायणदत्त पुत्र [illegible] आदि	चीड़	01		—	—	—	—	—	—	01	
		बाँज	—		—	—	—	—	—	—	—	
2	नारायणदत्त पुत्र तारादत्त आदि	चीड़	04		—	—	01	01	01	01	—	
		बाँज	05		—	02	02	01	—	—	—	
3	त्रिलोचन पुत्र बद्रीदत्त आदि	चीड़	05			—	01	01	01	01	01	
		बाँज	07		—	04	02	01	—	—	—	
1	रमेशचन्द्र पुत्र नन्दकिशोर जोशी	चीड़	05			—	—	02	01	01	01	
		बाँज	13		—	05	06	02	—	—	—	
	उत्तराखण्ड सरकार (सिविल भूमि)	चीड़	27		—	—	05	11	03	08	—	
		बाँज	05		01	02	02	—	—	—	—	

[illegible] 28/10/2024
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

बुक नम्बर पेज सं०

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध ~~उत्तर प्रदेश वृक्ष~~ प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 15 (पंजी) दिनांक 02.11.2024
संरक्षण अधिनियम 1976
की धारा 4/10 अंतर्गत
अधिक्षेत्र राजि जौरासी वन क्षेत्र

1 = नाम, पिता का नाम व निवास स्थान 1. नारायण दत्त S/o कन्धी राम, ग्राम. उणीधार, पो. मानिला, जिला. अल्मोड़ा
2. त्रिलोचन S/o चन्द्रीदत्त, पता उपरोक्तानुसार
3. नारायण दत्त S/o तारा दत्त, पता उपरोक्तानुसार
4. रमेश चंद्र S/o नंदकिशोर, पता उपरोक्तानुसार

2 = साक्षी का नाम - (1) स्वयं
(2) श्री संजय सिंह, व.पी.अ. मानिला I बीट
(3) श्री हिमांशु मनराल, वन आरक्षी

3 = कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक तहसीलदार क.क्षे.अ. भतरोंजखान जौरासी के कार्यालय पत्रांक 814/29-1 दि. 28.10.2024 के निर्देश अनुसार दि. 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को ग्राम उणीधार नाप भूमि में सोलर प्लांट अंतर्गत राजस्व विभाग के साथ हुए संयुक्त निरीक्षण दौरान (राजस्व विभाग के नक्शे एवं खतौनी अनुसार) उपरोक्त नामित भू-स्वामियों/काश्तकारों के नाप भूमि से कटे पाए वृक्षों के ठूंठों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	कटे पाए वृक्षों के ठूंठ: प्रजाति	सं.	व्यासवार विवरण (0-10)	(11-20)	(21-30)	(31-40)	(41-50)	(51-60)	(61-70)
1.	नारायण दत्त S/o कन्धी राम	चीड़	01	—	—	—	—	—	—	01
		बांज	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	त्रिलोचन S/o चन्द्रीदत्त	चीड़	05	—	—	01	01	01	01	01
		बांज	07	—	04	02	01	—	—	—
3.	नारायण दत्त S/o तारादत्त	चीड़	04	—	—	01	01	01	01	—
		बांज	05	—	02	02	01	—	—	—
4.	रमेश चंद्र S/o नन्द किशोर	चीड़	05	—	—	—	02	01	01	01
		बांज	13	—	05	06	02	—	—	—

4 = मूल्य (रुपये)

उपरोक्तानुसार मौके पर कुल 40 काटे गए पुराने वृक्षों के ठूंठ पाए।

वन क्षेत्राधिकारी

5 = चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 = प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Ravindra
(किशोर चन्द्र)
व.पी.अ.
मानिला II बीट

बुक नम्बर

पेज सं० 50

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अन्तर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 14 (चौबटा) दिनांक 02.11.2024

अधिक्षेत्र राजि जौरासी वन क्षेत्र

1 = नाम, पिता का नाम व निवास स्थान 1. लीलाधर S/o भोला दत्त, ग्राम उडलीधार, पो० मानिला, जिला अल्मोड़ा

2. पुष्प चंद्र S/o चंद्रमणी, पता उपरोक्तानुसार

3. कमला देवी W/o मथुरा दत्त पता उपरोक्तानुसार

4. उर्वीदत्त S/o चंद्रमणी पता उपरोक्तानुसार

2 = साक्षी का नाम - (1) स्वयं

(2) श्री संजय सिंह, व०बी०अ० मानिला I बीट

(3) श्री हिमांशु मनराल, वन आरक्षी

3 = कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक श्रीमान व०क्षे०अ० महोदय जौरासी के कार्यालय पत्रांक 814/29-1 दि० 28.10.2024 के निर्देश अनुसार दि० 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को ग्राम उडलीधार नाप भूमि में सोलर प्लांट अंतर्गत राजस्व विभाग के साथ हुए संयुक्त निरीक्षण मौका (राजस्व विभाग के नक्शे एवं खसरे अनुसार) उपरोक्त नामित भू-स्वामियों/काश्तकारों के नाप भूमि में काटे पाए वृक्षों के ठूंठों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	कुल काटे पाए वृक्षों के ठूंठ सं० प्रजाति	संख्या	व्यासवार विवरण (0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1.	लीलाधर S/o भोला दत्त	चीड़	02	—	01	—	—	—	01	—
		बांज	02	—	01	01	—	—	—	—
2.	पुष्प चंद्र S/o चंद्रमणी	चीड़	03	—	01	01	—	—	01	—
		बांज	01	—	—	01	—	—	—	—
3.	कमला देवी W/o मथुरा दत्त	चीड़	02	—	01	—	—	—	01	—
		बांज	01	—	—	01	—	—	—	—
4.	उर्वीदत्त S/o चंद्रमणी	चीड़	01	—	—	—	—	—	01	—
		बांज	03	01	—	02	—	—	—	—

उपरोक्तानुसार मौके पर कुल 15 काटे गए पुराने वृक्षों के ठूंठ पाए।

4 = मूल्य (रुपये)

वन क्षेत्राधिकारी

5 - चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 - प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Chandra
(किशोर चन्द्र)
व. बी. अ.
मानिला II बीट

बुक नम्बर

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 13 (तेरह) दिनांक 08.11.2024

अधिक्षेत्र राजि — [illegible]

1— नाम, पिता का नाम व निवास स्थान [illegible] पुत्र [illegible], [illegible], तह० [illegible], जिला अल्मोड़ा

1. नारायण दत्त पुत्र धनीराम, [illegible]
2. पूरन चन्द्र S/o तारा दत्त, पता उपरोक्तानुसार
3. देवाधर पुत्र बचीदत्त, पता उपरोक्तानुसार
4. [illegible] देवी W/o रामदत्त पता उपरोक्तानुसार

2— साक्षी का नाम - (1) स्वयं

(2) श्री [illegible] सिंह, व०बी०अ० [illegible] I [illegible]

(3) श्री [illegible], वन आरक्षी

3— कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक [illegible] व०बी०अ० [illegible] के [illegible] पत्रांक 014/29-1 दि० 20.10.2024 के [illegible] दिनांक 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को [illegible] के अंतर्गत राजस्व विभाग के साथ [illegible] [illegible] एवं [illegible] के अनुसार) उपरोक्त नामित भू-स्वामियों/ काश्तकारों के नाप भूमि [illegible] पर वृक्षों के स्वामित्व का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	उक्त काटे गए वृक्षों के प्रजाति / सं.		(0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1.	नारायण दत्त S/o धनीराम	[illegible]	06	–	01	01	01	02	01	–
		[illegible]	08	02	03	03	–	–	–	–
2.	पूरन चन्द्र S/o तारा दत्त	[illegible]	04	–	–	01	01	01	01	–
		[illegible]	03	01	01	01	–	–	–	–
3.	देवाधर S/o बचीदत्त	[illegible]	04	–	–	01	01	–	01	01
		[illegible]	09	01	02	04	02	–	–	–
4.	[illegible] देवी W/o रामदत्त	[illegible]	06	–	–	–	02	02	01	01
		बाँज	12	02	05	03	02	–	–	–

4— मूल्य (रुपये)

उपरोक्तानुसार कुल [illegible] पर 52 [illegible] वृक्षों के [illegible] ।

वन क्षेत्राधिकारी

5— चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत ।

6— प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख [illegible] रिपोर्ट [illegible] की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

[signature]
([illegible] चन्द्र)
व०बी०अ०
[illegible] II [illegible]

एच (2) पंजिका

बुक नम्बर 48 पेज सं० 47

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध ~~उत्तर प्रदेश~~ वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 12 (भारत) दिनांक 02.11.2024

अधिक्षेत्र राजि जैंती वन रेंज

1 = नाम, पिता का नाम व निवास स्थान ग्राम. जगनीभार, पो. गानिला (अल्मोड़ा)
1. त्रिलोचन S/o हीरामणी, ग्राम. जगनीभार, पो. गानिला (अल्मोड़ा)
2. हरीश चंद S/o नारायण दत्त, पता उपरोक्तानुसार
3. रवालीराम S/o तारा दत्त, पता उपरोक्तानुसार
4. आनन्द वल्लभ S/o घनश्याम पता उपरोक्तानुसार

2 = साक्षी का नाम - (1) स्वयं
(2) श्री संजय सिंह, व.वी.अ. गानिला I बीट
(3) श्री प्रियांशु मनराल, वन आरक्षी

3 = कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक श्रीमान उ.जि.अ. महोदय जैंती के कार्यालय पत्रांक 014/29-1 दि० 20.10.2024 के निर्देश अनुसार दि० 25.10.2024 व 26.10.2024 को ग्राम जगनीभार नाप भूमि में सोलर प्लांट अंतर्गत राजस्व विभाग के साथ उक्त संयुक्त निरीक्षण दौरान (राजस्व विभाग के नक्शे खसरे अनुसार) उपरोक्त नामित भू-स्वामियों / काश्तकारों के नाप भूमि में काटे गए वृक्षों के ठूंठों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है —

क्र.सं.	स्वामी/काश्तकार का नाम	उक्त काटे गए वृक्षों के प्रजाति	सं.	(0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1.	त्रिलोचन S/o हीरामणी	चीड़	05			01	02	=	01	01
		बाँज	10	=	04	04	02	=	–	–
2.	हरीश चंद S/o नारायण दत्त	चीड़	–	–		01	01	–	–	–
		बाँज	02	–	–	01	01	01	01	–
3.	रवालीराम S/o तारा दत्त	चीड़	04	01	01	02	–	01	–	–
		बाँज	05	–	01	–	–	–	01	–
4.	आनन्द वल्लभ S/o घनश्याम	चीड़	02	–	–	01	–	–	–	–
		बाँज	01							

4 = मूल्य (रुपये)

उपरोक्तानुसार मौके पर कुल 29 काटे गए पुराने वृक्षों के ठूंठ पाए।

वन क्षेत्राधिकारी

5 = चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 = प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम प्रसूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Chandra
(किशोर चन्द्र)
व.वी.अ.
गानिला II बीट

(31)

एच (2) पंजिका

बुक नम्बर 48 पेज सं० 46

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश | परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त | अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 11 (ग्यारह) दिनांक 02.11.2024

अधिक्षेत्र राजि जौरासी वन क्षेत्र

1 – नाम, पिता का नाम व निवास स्थान
1. गीता देवी w/o रमेश चंद्र, ग्राम उणीधार, पो. मानिला, जिला अल्मोड़ा
2. रघुवर दत्त S/o तारा दत्त पता उपरोक्तानुसार
3. खुशाली राम S/o हीरा मणी पता उपरोक्तानुसार
4. गणेशी दत्त S/o हीरा मणी पता उपरोक्तानुसार

2 – साक्षी का नाम – (1) स्वयं
(2) श्री संजय सिंह, व.प्र.अ. मानिला I बीट
(3) श्री हिमांशु [illegible], वन आरक्षी

3 – कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक श्रीमान का.से.अ. नरेश जोशी के कार्यालय पत्रांक 014/29-1 दि. 20.10.2024 के निर्देशानुसार दि. 25.10.2024 व 26.10.2024 को ग्राम उणीधार नाप भूमि को सोलर पावर प्रोजेक्ट हेतु राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया (राजस्व विभाग के खसरा खतौनी अनुसार) उपरोक्त नामित भू-स्वामियों/काश्तकारों के नाप भूमि से काटे पार वृक्षों के ठूंठों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है –

क्र.सं.	भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	प्रजाति	काटे पार वृक्षों के ठूंठों की संख्या	(0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1.	गीता देवी w/o रमेश चंद्र	चीड़	02	–	01	–	–	–	01	–
		बाँज	02	–	01	–	01	–	–	–
2.	रघुवर दत्त S/o तारा दत्त	चीड़	01	–	–	–	–	–	01	–
		बाँज	03	–	01	01	01	–	–	–
3.	खुशाली राम S/o हीरा मणी	चीड़	05	–	–	–	01	02	01	01
		बाँज	11	01	05	04	01	–	–	–
4.	गणेशी दत्त S/o हीरा मणी	चीड़	05	–	–	–	02	01	01	01
		बाँज	12	–	04	05	03	–	–	–

4 – मूल्य (रुपये)

उपरोक्तानुसार उक्त मौके पर 41 काटे गए पुराने वृक्षों के ठूंठ पाए।

वन क्षेत्राधिकारी

5 – चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 – प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Chandra
(C किशोर चन्द्र)
व.प्र.अ.
मानिला II बीट

बुक नम्बर 18 **एच (2) पंजिका** पेज सं० 44.

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध ~~उत्तर प्रदेश~~ वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 10 (नरा) दिनांक 02.11.2024

अधिक्षेत्र राजि ~~जौरासी वन क्षेत्र~~

1 = नाम, पिता का नाम व निवास स्थान ग्राम-उणीधार, पो० मानिला, जिला अल्मोड़ा
1. प्रेमवल्लभ S/o देवीदत्त
2. जगदीश चंद्र S/o हीरा राम, पता उपरोक्तानुसार
3. हर्षित भट्ट S/o रामदत्त, पता उपरोक्तानुसार
4. गोपाल दत्त S/o नारायण दत्त, पता उपरोक्तानुसार

2 = साक्षी का नाम -
(1) स्वयं
(2) श्री संजय सिंह, व० वी०अ० मानिला I बीट
(3) श्री हिमांशु नगराल, वन आरक्षी

3 = कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक श्रीमान व०क्षे०अ० महोदय जौरासी के कार्यालय पत्रांक 814/29-5 दि० 20.10.2024 के निर्देशानुसार दि० 25.10.2024 व 26.10.2024 को ग्राम उणीधार नाप भूमि की संयुक्त (राजस्व विभाग के नक्शे के अंतर्गत राजस्व विभाग के साथ उप क्षेत्रीय निरीक्षण किया गया नाप भूमि में कटे पाए वृक्षों के ठूँठों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र०सं०	भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	उक्त काटे पाए वृक्षों के ठूँठ — वृक्ष प्रजाति	संख्या	(0-15)	(15-25)	(25-35)	(35-45)	(45-55)	(55-65)	(65-70)
1.	प्रेमवल्लभ S/o देवीदत्त	बाँज	06 / 02	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—
				—	—	01	—	01	01	—
		चीड़	03					—	—	—
2.	जगदीश चंद्र S/o हीरा राम	बाँज	02	01	01	—	—	—	—	—
3.	हर्षित भट्ट S/o रामदत्त	चीड़	06	—	01	01	01	02	01	—
		बाँज	11	02	04	04	01	—	—	—
4.	गोपाल दत्त S/o नारायण दत्त	चीड़	01	—	01	—	—	—	—	—
		बाँज	01	—	01	—	—	—	—	—

4 = मूल्य (रुपये)

उपरोक्तानुसार उक्त मौके पर 37 काटे गए पुराने वृक्षों के ठूँठ पाए।

वन क्षेत्राधिकारी

5 = चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 = प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख ज्ञात नरा प्रसूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Kishor Chandra
(किशोर चन्द्र)
व० वी० अ०
मानिला II बीट

बुक नम्बर 48 पेज सं० 43

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश | परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त | अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 09 (नौ) दिनांक 02.11.2024

अधिक्षेत्र राजि जौरासी वन क्षेत्र

1 = नाम, पिता का नाम व निवास स्थान

1. अभिनंद S/o तारा दत्त, ग्राम उणीधार, पो. गानिला, जिला अल्मोड़ा
2. इन्द्रमणी S/o चिन्तामणी, ग्राम उणीधार, पो. गानिला, जिला अल्मोड़ा
3. बबुली देवी W/o चन्द्रमणी, उणीधार, पो. गानिला, जिला अल्मोड़ा
4. मुन्नी देवी W/o भगवत भट्ट, ग्राम उणीधार, पो. गानिला, जिला अल्मोड़ा

2 = साक्षी का नाम -
(1) स्वयं
(2) श्री संजय सिंह, प्र. वी. अ. गानिला I बीट
(3) श्री हिमांशु नगराल, वन आरक्षी

3 = कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक श्रीमान प्र. क्षे. अ. महोदय जौरासी के कार्यालय पत्रांक 014/29-1 दि. 20.10.2024 के निर्देशानुसार दि. 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को ग्राम उणीधार नाप भूमि में राजस्व विभाग के साथ उक्त संयुक्त निरीक्षण (राजस्व विभाग के नक्शे एवं खसरे अनुसार) उपरोक्त नामित भू-स्वामियों/काश्तकारों के नाप भूमि को काटे गए वृक्षों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	कटे गए वृक्षों के ठूँठ प्रजाति	संख्या	व्यासवार विवरण (0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1.	अभिनंद S/o तारा दत्त	चीड़	06	–	–	–	02	02	01	01
		बांज	10	01	04	03	02	02	01	–
				–	–	01	01	–	–	–
2.	इन्द्रमणी S/o चिन्तामणी	चीड़	05	–	01	01	–	–	–	–
		बांज	03	01	–	–	–	–	01	–
				–	–	01	–	–	–	–
3.	बबुली देवी W/o चन्द्रमणी	चीड़	02	–	–	01	–	02	01	–
		बांज	01	–	01	01	02	–	–	–
4.	मुन्नी देवी W/o भगवत भट्ट	चीड़	07		04	04	01			
		बांज	10	01						

4 = मूल्य (रुपये)

उपरोक्तानुसार जंगल मौके पर [illegible] काटे गए पुराने वृक्षों के ठूँठ पाए।

वन क्षेत्राधिकारी

5 = चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 = प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय को सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
(किशोर चन्द्र)
प्र. वी. अ.
गानिला II बीट

बुक नम्बर 48 एच (2) पंजिका पेज सं० 41

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध ~~उत्तर प्रदेश~~ वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 08 (आर०) दिनांक 02.11.2024

अधिक्षेत्र राजि जौरासी वन क्षेत्र

1 = नाम, पिता का नाम व निवास स्थान

1. गोपाल दत्त S/o शिवदत्त, ग्राम-कुणीधार, पो० मानिला, जिला अल्मोड़ा
2. भागुली देवी W/o नन्द किशोर, ग्राम-कुणीधार, पो० मानिला, जिला अल्मोड़ा
3. चन्द्र दत्त S/o तारा दत्त, ग्राम-कुणीधार, पो० मानिला, जिला अल्मोड़ा

2 = साक्षी का नाम -
(1) स्वयं
(2) श्री संजय सिंह, व.वी.अ. मानिला I बीट
(3) श्री हिमांशु नगराल, वन आरक्षी

3 = कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक श्रीमान व०क्षे०अ० महेश जोशी के कार्यालय पत्रांक 014/29-1 दि० 20.10.2024 के निर्देशानुसार दि० 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को ग्राम कुणीधार नाप भूमि के सोलर प्लांट अंतर्गत राजस्व विभाग के साथ हुए संयुक्त निरीक्षण (सर्वे) (राजस्व विभाग के नाप एवं खसरे अनुसार) उपरोक्त ग्रामीण भू-स्वामियों/काश्तकारों के नाप भूमि से काटे गए वृक्षों के ठूंठों का व्यासवार विवरण निम्नानुसार है—

क्र०सं०	भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	प्रजाति	काटे गए वृक्षों के ठूंठ संख्या	व्यास का विवरण (0-10)	(10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1.	गोपाल दत्त S/o शिवदत्त	चीड़	03	—	—	—	01	01	01	—
		बांज	03	01	01	—	01	—	—	—
2.	भागुली देवी W/o नन्द किशोर	चीड़	06	—	—	—	02	02	01	01
		बांज	10	02	03	03	02	—	—	—
3.	चन्द्र दत्त S/o तारा दत्त	चीड़	04	—	—	01	01	01	01	—
		बांज	06	01	03	01	01	—	—	—

4 = मूल्य (रुपये)

उपरोक्तानुसार कुल मौके पर 32 काटे गए हरे वृक्षों के ठूंठ पाए।

वन क्षेत्राधिकारी

5 = चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 = प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः सम्बन्धित प्रसूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवार्पित।

(हस्ताक्षर)
(किशोर चन्द्र)
व.वी.अ.
मानिला II बीट

एच (?) पंजिका

बुक नम्बर 48 पेज सं० 40

वन विभाग उत्तरांचल प्रदेश परिधि (सर्किल) उत्तरी कुमायूं वृत्त अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

वन्य अपराध उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 अंतर्गत प्रसूचना (रिपोर्ट सं० 07-(स्था) दिनांक 02.11.2024

अधिक्षेत्र राजि जौरासी वन क्षेत्र

1 - नाम, पिता का नाम व निवास स्थान 1. बाला दत्त S/o तारा दत्त, ग्राम जणीधार, पो. गानिला, जिला अल्मोड़ा

2. लक्ष्मी दत्त S/o जयदत्त, ग्राम जणीधार, पो. गानिला, जिला अल्मोड़ा

3. प्रेमवल्लभ S/o मथुरा दत्त ग्राम जणीधार, पो. गानिला, जिला अल्मोड़ा

2 - साक्षी का नाम - (1) स्वयं

(2) श्री संजय सिंह, वन बीट अधिकारी गानिला I बीट

(3) श्री हिमांशु गनराल, वन आरक्षी

3 - कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक सीमांकन क. से. मा. महोदय जौरासी के कार्यालय पत्रांक 814/29-1 दि. 28.10.2024 के निर्देशानुसार दि. 25.10.2024 एवं 26.10.2024 को ग्राम जणीधार नाप भूमि में खोलद धमार अंतर्गत राजस्व विभाग के साथ कुल संयुक्त निरीक्षण करने (राजस्व विभाग के नक्शे एवं खसरे अनुसार) उपरोक्त जांचित भू-स्वामियों/काश्तकारों के नाप भूमि में काटे गए वृक्षों के स्टंपों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं. भू-स्वामी/काश्तकार का नाम	उक्त काटे गए वृक्षों के स्टंप से प्रजाति	संख्या	व्यास वर्ग (10-20)	(20-30)	(30-40)	(40-50)	(50-60)	(60-70)
1. बाला दत्त S/o तारा दत्त	चीड़	06	—	01	01	02	01	01
	बांज	09	04	04	01	—	—	—
2. लक्ष्मी दत्त S/o जयदत्त	चीड़	04	01	01	—	01	01	—
	बांज	04	(0-10) 02	01	—	—	01	—
3. प्रेमवल्लभ S/o मथुरा दत्त	चीड़	02	—	01	—	—	—	—
	बांज	01	01	—	—	—	—	—

4 - मूल्य (रुपये)

अतः कुल मौके पर कुल 26 काटे गए पुराने वृक्षों के स्टंप पाए।

वन क्षेत्राधिकारी

5 - चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के अंतर्गत।

6 - प्रसूचना (रिपोर्ट) के ब्यौरे और प्रमाण आदि का उल्लेख अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Chandra
(किशोर चन्द्र)
व. बी. अ.
गानिला II बीट